न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ जिला डीग
इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी कामाँ

मुकदमा नं0 17/2023
1–मकसूद पुत्र रहमत, जाति मेव, निवासी ग्राम औलन्दा तहसील कामाँ, जिला डीग

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कामाँ जिला डीग राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
1– श्री बृजलाल प्रार्थी अधिवक्ता
2– पैरोकार सरकार

अन्तर्गत धारा–111, 128, 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक 10.06.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया कि पुराना खसरा नम्बर 67/3.51 हैक्टर का था जिसमें से प्रार्थी मकसूद पुत्र रहमत 67/0.81 कैथवाडा डीग रोड पर काबिज है। जिसका नवीन खसरा नम्बर 137/0.81 है एवं राज्य सरकार सिवायचक का खसरा नम्बर 139/1.73 हैक्टर था जिसमें से नवीन खसरा नम्बर सिवायचक 139 को बन्दोबस्त नक्शा में गलत व विपरीत कब्जे के बाहर जाकर दर्शाया गया है। जबकि प्रार्थी का कब्जा मुताबिक मौका नक्शा आराजी खसरा नम्बर 292/67/0.81 कैथवाडा डीग रोड पर काबिज है। इसके बाद मुताबिक कब्जा साहब खां, इलियास पिसरान कमर खां 289/67/0.49 पर काबिज है। इसके बाद 450/67/0.08 मौमिन पुत्र मौहर सिंह व मकसूद पुत्र रहमत का कब्जा है। इसके बाद 291/67/0.24 पर ईशव, हिम्मत पिसरान इलियास वगैराह का कब्जा है। इसके बाद सिवायचक 67/1.73 जिसमें वर्तमान में विद्युत विभाग का अलॉट हो चुका है। जिसकी चारदीवारी होकर निर्माणाधीन होकर कार्य चल रहा है। जबकि बन्दोबस्त विभाग ने बिना मौका देखे ही अपने नये बन्दोबस्त में गलत दर्शाते हुये प्रार्थी के स्थान पर 139 सिवायचक दर्ज कर दिया है। जो कतई गलत है। जबकि उक्त स्थान पर प्रार्थी का वर्तमान खसरा नम्बर 137/0.81 पर कैथवाडा डीग रोड पर मैं काबिज हूँ। नकल 2056 से 2059 खसरा गिरदावरी खसरा नम्बर 67, नकल पुराना नक्शा ट्रेस साविक खसरा नम्बर 67, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा बन्दोबस्त, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत हाल, नकल मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का, नकल प्रार्थना पत्र तहसीलदार 05.12.2019 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शा से प्रार्थीगण की खातेदारी के नम्बर 137/0.81 को मुताबिक कब्जा कैथवाड़ा डीग रोड पर बन्दोबस्त नक्शा में हाल मौका, कब्जा, अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार कामां ने अपने पत्र क्रमाक/भू0अ0/2024/394 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा जबाब पेश किया कि मुताबिक प्रार्थी मकसूद पुत्र रहमत जाति मेव निवासी ग्राम औलन्दा ने ग्राम औलन्दा में साविक आराजी खसरा नमब्र 67/3.51 है0 जिसमें प्रार्थी का कैथवाडा–डीग रोड पर कब्जा है जिसकी शुद्धि चाही गयी है। जिसमें पटवारी हल्का औलन्दा

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

की मौका कब्जा काश्त एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार है:— साविक आराजी खसरा नम्बर 67 / 3.51 को 7 भागों में विभक्त किया गया है जो निम्न प्रकार है 289 / 67 / 0.49, 291 / 67 / 0.24, 292 / 67 / 0.81 एवं 448 / 67 / 0.08, 449 / 67 / 0.08, 452 / 67 / 0.08, 67 / 1.73 है। उपरोक्त साविक खसरों का भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा निम्न हाल नम्बर बनाये गये है। 289 / 67 / 0.49 (हाल नम्बर 135 / 0.49), 291 / 67 / 0.08 (हाल 136 / 0.24), 292 / 67 / 0.81 (हाल 137 / 0.81), 448 / 67 / 0.08, 449 / 67 / 0.08, 450 / 67 / 0.08 (हाल 138 / 0.24), 67 / 1.73 (हाल नम्बर 139 / 1.73) बनाये गये है। उपरोक्त खसरो के निम्न खातेदार दर्ज रिकार्ड है:— **(i)** 289 / 67 / 0.49 (हाल 135 / 0.49) साहब खां, इलियास पिसरान कमरसिंह बगैरा, **(ii)** 291 / 67 / 0.24 (हाल 136 / 0.24) ईशव, हिम्मत पिसरान इलियास व धौली बगैरा, **(iii)** 292 / 67 / 0.81 (हाल 137 / 0.81) मकसूद पुत्र रहमत बगैरा जाति मेव, **(iv)** 448 / 67 / 0.08, 449 / 67 / 0.08, 450 / 67 / 0.08 (हाल 138 / 0.24) मौमीन पुत्र मौहरसिंह व मकसूद पुत्र रहमत बगैरा मेव, **(v)** 67 / 1.73 (हाल 139 / 1.73) एवं हाल नम्बर 139 / 1.73 को तीन भागों मे विभक्त किया गया है 370 / 139 / 0.25 किस्म बन्जड सहायक अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम कामां व 371 / 139 / 0.15, 372 / 139 / 1.33 चारागाह दर्ज किये गये है। नवीन बन्दोबस्त के अनुसार साविक खसरा नम्बर 67 के हाल नम्बरो की नक्शा सीट के अनुसार निम्न है।

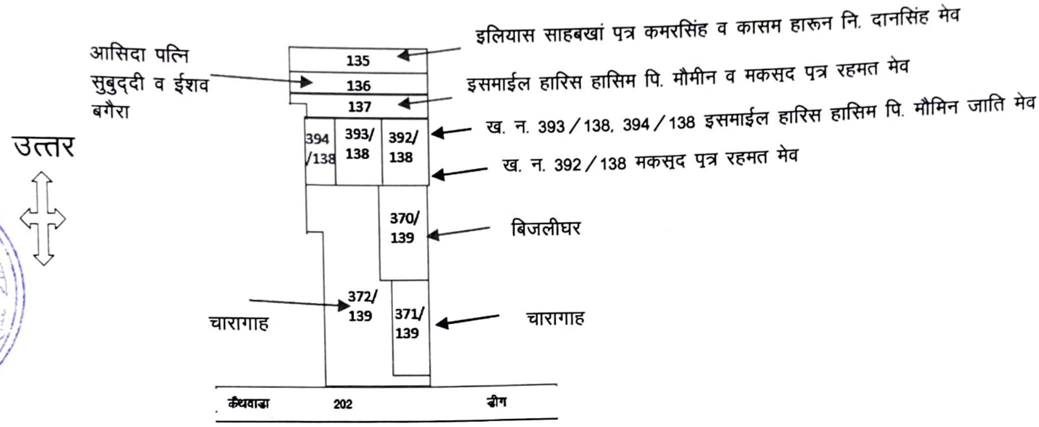

मौके अनुसार साविक खसरा नम्बर 67 (हाल नम्बर 135, 136, 137, 138,139) की स्थिति मौके अनुसार निम्न प्रकार कब्जा काश्त है।

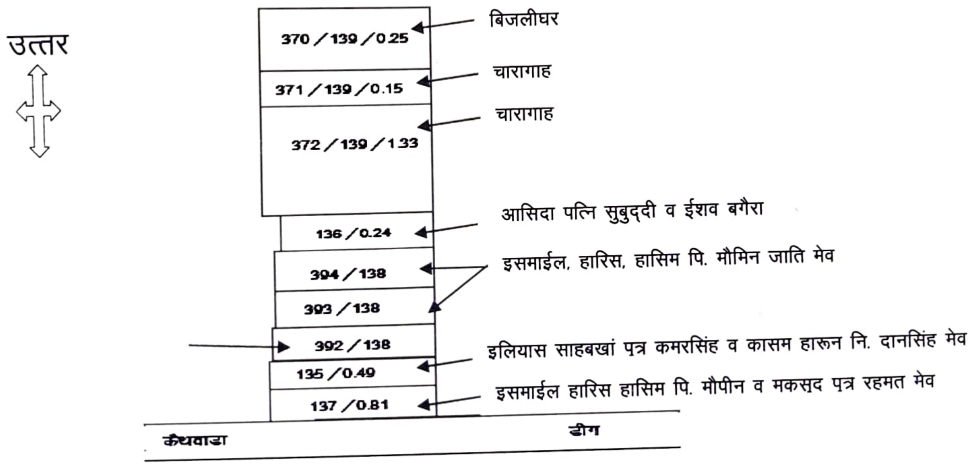

नवीन बन्दोबस्त के अनुसार खातेदारों का कब्जा उत्तर दिशा में दर्शाया गया है। जबकि मौके पर दक्षिण दिशा में डीग–कैथवाडा रोड की तरफ स्थिति है। सिवायचक व चारागाह के खसरा नम्बर नवीन नक्शा सीट में दक्षिण दिशा यानि कैथवाडा–डीग रोड की तरफ दर्शाया है।

कामां (डीग) राज०

जबकि मौके पर उत्तर दिशा में स्थिति है। उचित कार्यवाही हेतु सूचना श्रीमानजी को सादर प्रेषित है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं. 2074-2076, किता 2 व 2068-71, नक्शा ट्रेस नक्शा 2006-07, भू प्रबन्धक खसरा गिरदावरी सं0 2067-68, किता 2 सलग्न किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस प्रार्थी अधिवक्ता को सुना। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराया हुए कहा कि पुराना खसरा नम्बर 67/3.51 हैक्टर का था जिसमें से प्रार्थी मकसूद पुत्र रहमत 67/0.81 कैथवाडा डीग रोड पर काबिज है। जिसका नवीन खसरा नम्बर 137/0.81 है एवं राज्य सरकार सिवायचक का खसरा नम्बर 139/1.73 हैक्टर था जिसमें से नवीन खसरा नम्बर सिवायचक 139 को बन्दोबस्त नक्शा में गलत व विपरीत कब्जे के बाहर जाकर दर्शाया गया है। खातेदारी के नम्बर 137/0.81 को मुताबिक कब्जा कैथवाडा डीग रोड पर बन्दोबस्त नक्शा में हाल मौका, कब्जा अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये । तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 292/67 हाल 137/0.81 मकसूद पुत्र रहमत वगैरा जाति मेव की खातेदारी की है । नवीन बन्दोबस्त में प्रार्थी का कब्जा उत्तर दिशा में दर्शाया गया है जबकि मौके पर दक्षिण दिशा डीग कैथवाडा रोड की तरफ स्थित है । खसरा नम्बर 370/139/0.25 किस्म बंजड कदीम सिवाय चक व चारागाह के खसरा नम्बर नवीन नक्शा सीट में दक्षिण दिशा यानि कैथवाडा डीग रोड की तरफ दर्शाया है जबकि मौके पर उत्तर दिशा में स्थित है । जिसे कब्जा के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है ।

आ दे श

अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू अभिलेख अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार तथा खसरा नम्बर 292/67 हाल 137/0.81 मकसूद पुत्र रहमत वगैरा जाति मेव की खातेदारी की है प्रार्थी का कब्जा के अनुसार मौके पर दक्षिण दिशा डीग कैथवाडा रोड की तरफ तथा खसरा नम्बर 370/139/0.25 किस्म बंजड कदीम सिवाय चक व चारागाह के खसरा नम्बर नवीन मौके पर उत्तर दिशा शुद्ध किया जाता है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.6.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामाँ
(डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0